

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

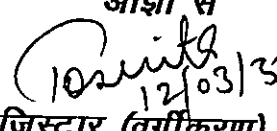
कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1039 / 2025

दिनांक : 12.03.2025

सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) को दिनांक 17.03.2025 से 21.03.2025 तक 05 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 13.03.2025 से 14.03.2025 व 22.03.2025 से 23.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों एवं दिनांक 15.03.2025 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री लोधी की अनुपस्थिति में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू (बारां) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) के पद पर ही होने की संभावना है।

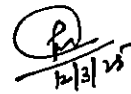
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/61/2016/

दिनांक : 12.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 230 दिनांक 28.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री शाइस्ता लोधी (RJ01073), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां)।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू (बारां)।


सहायक रजिस्ट्रार